

बिहार विधान सभा का अद्वैत

(भाग-1—कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

मंगलवार, तिथि 26 जुलाई, 1953 ।

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या 49, 63, 221, 222 1—8

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 1334, 2141, 2636, 2864, 2865, 2866 । 9—22

परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) : 23—57

दैनिक निबंध : 58

टिप्पणी : किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है ।

रांची द्वारा लिपिक के पद पर की गई है, न कि श्री उदय राज सिंह, प्रवर प्रमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, घालभूम के द्वारा।

(3) श्री अशोक कुमार सिंह की नियुक्ति छः माह के लिए की गई है जिसकी अवधि अब समाप्त हो गई है। इनकी आगे की सेवा समाप्ति का आदेश दिया जा रहा है।

पम्पिंग सेट की व्यवस्था।

2879. श्री नारायण यादव—क्या मंत्री, ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं परिवर्धन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर प्रखंड में ग्रामीण विकास बैंक, मासूमगंज के द्वारा करीब 100 किसानों के खेत में 1982 ई० में केमिटी एवं सरफेस बोरिंग की गई है और करीब 25 किसानों का आवेदन बोरिंग के लिए लंबित है;

(2) क्या यह बात सही है कि जितने भी किसानों के खेत में बोरिंग की गई है और जिनका मामला लंबित है एक भी किसान को पम्पिंग सेट बैंक से नहीं दिया गया है जिससे कि बोरिंग बेकार पड़ा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उन तत्काल किसानों को जिनके खेत में बोरिंग हो गया है और जिनका मामला लंबित है, पम्पिंग सेट देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—(1) मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर प्रखंड में वर्ष 1982 के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मासूमगंज को 96 आवेदन-पत्र केमिटी एवं सरफेस बोरिंग हेतु भेजे गए जिसमें उक्त बैंक द्वारा 86 आवेदन-पत्र स्वीकृत किए गए एवं 48 केमिटी एवं सरफेस बोरिंग का कार्य कराया गया।

(2) उत्तर नकारात्मक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अतरगंज के प्रमिलेखानुसार 48 में से 29 कुषकों को पम्पिंग सेट दिया गया है और 19 मामले लंबित हैं।

(3) लंबित मामलों के नियमानुसार निषादन कराने के लिए जिला पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया है।